राजस्थान सरकार
गोपालन विभाग

क्रमांक :एफ.वी.4(3)निगो/प्लान/ब.घो./गौ.बा.स.यो./2018/ 4548 दिनांक : 7.06.2018

दिशानिर्देश

राज्य की पंजीकृत गौशालाओं में गौवंश के सहउत्पाद गोबर का उपयोग ऊर्जा के गैर पारम्परिक स्त्रोत के रूप में कर के गौशालाओं के आय के स्त्रोंत को बढ़ाने तथा निर्मित खाद को सममिश्रित कर प्रोम (Prom) के रूप में जैविक कृषि के लिए कृषकों को उपलब्ध करवाने एवं बायों गैस उत्पादन कर विद्युत के क्षेत्र में आत्मनिर्भर व स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य से चयनित 25 गौशालाओं में 100 घन मीटर या अधिक क्षमता के बायो गैस प्लांट लगाये जाने की माननीय मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा (67) के क्रियान्वयन हेतु **गौशाला बायोगैस सहभागिता योजना अन्तर्गत** गौ संरक्षण एवं संवर्द्धन निधि नियम, 2016 से सृजित निधि से वित्तीय वर्ष 2018–19 में सहायता राशि के वितरण हेतु निम्न प्रकार दिशा–निर्देश जारी किये जाते है :–

1. **गौशालाओं की पात्रता :–**
   - i. गौशालाओं के पास स्वयं के स्वामित्व की 25 बीघा अथवा इससे अधिक भूमि की उपलब्धता।
   - ii. गौशालाओं के पास कम से कम 1000 गौवंश का संधारण किया जाना आवश्यक है।
   - iii. संयंत्र संचालन हेतु आवश्यक मात्रा में गोबर व पानी उपलब्ध करवाने हेतु गौशाला वचनबद्ध होगी।
   - iv. गौशाला जिनका **पंजीयन दिनांक 31.03.2016 को** या इससे पूर्व हुआ हो, जो निरंतर संचालित हों
   - v. आत्मनिर्भर एवं स्वावलम्बी बनने हेतु जो गौशालाएं स्वयं के संसाधन विकसित करने हेतु उत्सुक हो।
   - vi. राजस्थान गौशाला अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत गौशालाऐ/संस्थाऐं।
   - vii. ऐसी गौशालाऐं जिनके विरूद्ध राजस्थान गौशाला अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत दण्डित कार्यवाही अथवा कोई वित्तिय अनियमितता/गबन का प्रकरण विचाराधीन नहीं हो।
   - viii. विशेष परिस्थितियों में जिला स्तरीय गोपालन समिति से अनुमोदित/अनुशंषित संस्थाएं।
2. **संस्थाओं के चयन की प्रक्रिया :–**
   - i. इच्छुक गौशाला को अपना प्रस्ताव जिला कलक्टर कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना होगा।
   - ii. प्राप्त प्रस्तावों की जांच उपरान्त सही पाये जाने पर जिला गोपालन समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जा सकेगा, प्रस्ताव में गौवंश की संख्या एवं विवरण, भूमि का विवरण, प्रस्तावित निर्माण कार्य/तकमीना की राशि, गौशाला द्वारा स्वयं के हिस्से की राशि का विवरण आदि सम्मिलित होगा।
   - iii. एक से अधिक प्रस्तावों की प्राप्ति की स्थिति में प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन अंकों के आधार पर किया जाकर सर्वश्रेष्ठ संस्था/गौशाला का चयन किया जायेगा, जिसका आधार संस्था की वित्तीय स्थिति, गौवंश पालन पोषण का अनुभव, संस्था से जिले के गणमान्य नागरिकों, भूमि की उपलब्धता, गौवंश चारा–पानी, पशुआहार, प्रबंधन, चिकित्सा, देख–रेख आदि की समुचित व्यवस्था करने में सक्षमता का होगा। मूल्यांकन का विवरण **प्रपत्र–8** पर संलग्न है।
   - iv. जिला गोपालन समिति उक्त प्रस्तावों पर व्यवहारिकता एवं उपयोगिता पर विचार कर अनुमोदन पश्चात् निदेशालय गोपालन को अग्रेषित करेगी।
   - v. ऐसी संस्थाऐं जो गौवंश सह–उत्पाद के निर्माण व विक्रय के माध्यम से स्वावलम्बी बनने की वचनबद्धता प्रदर्शित करती है, को प्राथमिकता दी जायेगी।
3. **योजना की क्रियान्वयन एजेन्सी** :– गौशालाओं में बायोगैस प्लांट संरचना का निर्माण निदेशालय गोपालन द्वारा चयनित एजेंसी के माध्यम से क्रियान्वित करवाया जायेगा।
4. **योजना की शर्तें :–**
   - i. गोपालन विभाग द्वारा गौशाला बायोगैस सहभागिता योजना के अन्तर्गत राज्य की 25 या 25 बीघा से अधिक स्वयं के स्वामित्व की भूमि वाली गौशालाओं को 100 घन मीटर एवं इससे

अधिक क्षमता वाले बायोगैस प्लांट की आधारभूत संरचना आदि के निर्माण एवं संचालन हेतु सहायता दी जायेगी।

ii. गोपालन विभाग द्वारा गौशालाओं में बायोगैस प्लांट की स्थापना हेतु कुल लागत का 50% या अधिकतम 40.00 लाख तक की अनुदान राशि दी जायेगी तथा 50% राशि लाभार्थी गौशाला संस्था द्वारा स्वयं को अथवा B.O.O.T.(Build Own Opearate Transfer) विधि से कार्यकारी संस्था द्वारा वहन करनी होगी।

iii. योजनान्तर्गत देय राशि केवल नवीन निर्माण कार्य हेतु ही स्वीकृत की जायेगी।

iv. चयनित कार्यकारी संस्था/एजेंसी का अनुबंध गौशाला प्रबंधन के साथ निदेशालय गोपालन की देखरेख में निष्पादित किया जायेगा।

v. कार्यकारी संस्था/एजेंसी/गौशाला को शपथ–पत्र राज्य सरकार के पक्ष में देना होगा, कि प्लांट के निर्माण के पश्चात् आगामी कम से कम 10 वर्ष तक प्लांट को निरन्तर संचालित करना होगा। संयंत्र के विधिवत संचालन की जिम्मेवारी अनुबंध के अनुसार होगी। दोनो पक्ष इसके प्रति जिम्मेवार होगे।

vi. नवीन कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात सम्बन्धित संस्था को स्वयं के हिस्से की राशि का निर्माण कार्य पूर्ण कराकर प्रमाणन/मूल्यांकन निदेशालय गोपालन द्वारा निर्देशित समिति/व्यक्ति से करवाना आवश्यक होगा।

vii. योजना के अन्तर्गत कार्यकारी संस्था/एजेंसी/गौशाला को अधिकतम 40.00 लाख रूपये की राशि दी जायेगी। किसी भी स्थिति में निर्माण कार्य पर इससे अधिक राशि का अनुदान संस्था /गौशाला को देय नही होगा।

viii. गौशाला में संधारित गौवंश की संख्या का सत्यापन सम्बन्धित जिला कलक्टर द्वारा तहसीलदार/नायब तहसीलदार/विकास अधिकारी या अन्य अधिकारी तथा पशुपालन विभाग के पशु चिकित्सा अधिकारियों के माध्यम से कराया जा सकता है। सत्यापन निर्धारित प्रपत्र–"1" में किया जायेगा तथा आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर जिला कलक्टर को प्रेषित किया जायेगा।

ix. सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का स्वामित्व 10 वर्ष तक राज्य सरकार में निहित होगा। इस अवधि में इन परिसम्पत्तियों का बेचान/हस्तान्तरण/खुर्दबुर्द किसी भी परिस्थिति में राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा।

x. स्वीकृत एवं प्रारम्भ किये गये निर्माण कार्य का नाम, विवरण, लागत राशि, निधि से स्वीकृत राशि, कार्य अवधि आदि के विवरण का एक बोर्ड सम्बन्धित गौशाला के मुख्य प्रवेश द्वार पर लगाना अनिवार्य होगा।

xi. संस्था द्वारा संधारित प्रत्येक गौवंश की पहचान हेतु टैग लगाना अनिवार्य होगा। कोड का आवंटन एवं टैगिंग का कार्य **गौ संरक्षण एवं संवर्द्धन निधि नियम, 2016** के अन्तर्गत निदेशालय गोपालन द्वारा पूर्व में जारी दिशानिर्देशो के अनुरूप किया जायेगा।

xii. गौशाला द्वारा उक्त टैग की संख्या के आधार पर अपने कार्यालय में गौवंश का एक रजिस्टर संलग्न **प्रपत्र–5** में संधारित करना होगा।

xiii. संस्था द्वारा सूचना एवं प्रोद्योगिकी की आधुनिक प्रणाली को अपनाते हुए डाटा का संधारण कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से करना होगा एवं निदेशालय गोपालन के निर्देशानुसार प्रेषित की जानी होगी।

xiv. संस्था द्वारा विगत दो वर्षों की सी.ए. द्वारा की गई ऑडिट रिपोर्ट आवेदन प्रस्ताव के साथ जिला कलक्टर को प्रस्तुत करनी होगी।

xv. संबंधित कार्यकारी संस्था/एजेंसी बायोगैस संयत्र की स्थापना हेतु दानदाताओं/निवेशकों/ भारत सरकार/राज्य सरकार की विभिन्न योजनान्तर्गत देय अनुदान/सहायता प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होगी।

xvi. इस योजना के साथ गौशालाएं अन्य प्रचलित योजनाओं जैसे गुरू गोलवलकर जन सहभागिता योजना, मनरेगा, सांसद एवं विधायक कोष आदि का लाभ भी ले सकेगी।

xvii. अन्य आवश्यक शर्ते जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जावेंगी।